



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 23 16 आषाढ़ 1943 (श०)
पटना, बुधवार, —————
7 जुलाई 2021 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-15	भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---	भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि। ---	भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---	भाग-9-विज्ञापन ---
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। ---	भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण। ---	भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 16-16
भाग-4-बिहार अधिनियम ---	पूरक ---
	पूरक-क ---

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचनाएं

29 जून 2021

सं० 2/बि०व०से० (स्था०)-03/2018-1563/प०व०—सुश्री श्वेता कुमारी, बि०व०से०, सहायक वन संरक्षक, कार्यालय—वन प्रमंडल पदाधिकारी—सह—उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष-2, बेतिया को प्रशिक्षणोपरान्त उन्हें सहायक वन संरक्षक, कार्यालय—वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना वन प्रमंडल, पटना के रिक्त पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सुश्री श्वेता कुमारी, पटना पूर्वी प्रक्षेत्र के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगी।

सं० 2/बि०व०से० (स्था०)-03/2018-1564/प०व०—सुश्री अमिता राज, बि०व०से०, सहायक वन संरक्षक, कार्यालय—वन प्रमंडल पदाधिकारी—सह—उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष-2, बेतिया को प्रशिक्षणोपरान्त उन्हें सहायक वन संरक्षक, कार्यालय—वन प्रमंडल पदाधिकारी—सह—उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष-2, बेतिया के रिक्त पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सुश्री अमिता राज, मदनपुर वन प्रक्षेत्र के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगी।

सं० 2/बि०व०से० (स्था०)-03/2018-1565/प०व०—श्री प्रतीक आनन्द, बि०व०से०, सहायक वन संरक्षक, कार्यालय—वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर वन प्रमंडल, भभुआ को प्रशिक्षणोपरान्त उन्हें सहायक वन संरक्षक, कार्यालय—वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर के रिक्त पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

श्री प्रतीक आनन्द, धरहरा वन प्रक्षेत्र के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं० 2/बि०व०से० (स्था०)-03/2018-1566/प०व०—श्री आतिश कुमार, बि०व०से०, सहायक वन संरक्षक, कार्यालय—वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ को प्रशिक्षणोपरान्त उन्हें सहायक वन संरक्षक, कार्यालय—वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के रिक्त पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं० 2/बि०व०से० (स्था०)-03/2018-1567/प०व०—श्री अमीत कुमार, बि०व०से०, सहायक वन संरक्षक, कार्यालय—वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई को प्रशिक्षणोपरान्त उन्हें सहायक वन संरक्षक, कार्यालय—वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया के रिक्त पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

श्री अमीत कुमार, इमामगंज वन प्रक्षेत्र के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं० 2/बि०व०से० (स्था०)-03/2018-1568/प०व०—श्री राज कुमार शर्मा, बि०व०से०, सहायक वन संरक्षक, कार्यालय—वन प्रमंडल पदाधिकारी, तिरहुत वन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को प्रशिक्षणोपरान्त उन्हें सहायक वन संरक्षक, कार्यालय—वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर वन प्रमंडल, भभुआ के रिक्त पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

श्री राज कुमार शर्मा, अधौरा वन प्रक्षेत्र के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं० 2/बि०व०से० (स्था०)-03/2018-1569/प०व०—श्री पंकज कुमार, बि०व०से०, सहायक वन संरक्षक, कार्यालय—वन प्रमंडल पदाधिकारी, पार्क प्रमंडल, पटना को प्रशिक्षणोपरान्त उन्हें सहायक वन संरक्षक, कार्यालय—वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम के रिक्त पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

श्री पंकज कुमार, डिहरी वन प्रक्षेत्र के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं० 2/बि०व०से० (स्था०)-03/2018-1570/प०व०—सुश्री मेघा यादव, बि०व०से०, सहायक वन संरक्षक, कार्यालय—वन प्रमंडल पदाधिकारी, बाँका वन प्रमंडल, बाँका को प्रशिक्षणोपरान्त उन्हें सहायक वन संरक्षक, कार्यालय—वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई के रिक्त पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सुश्री मेघा यादव, झांझा वन प्रक्षेत्र के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

29 जून 2021

सं० 2/बि०व०से० (स्था०)-03/2018-1557/प०व०—श्री सुबोध कुमार गुप्ता, बि०व०से०, सहायक वन संरक्षक, कार्यालय—वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना (सम्प्रति उप निदेशक, राजगीर जू-सफारी के पद पर प्रतिनियुक्त) को स्थानांतरित करते हुए उन्हें वन प्रमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर वन प्रमंडल, समस्तीपुर के रिक्त पद पर अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

श्री संजय कुमार सिन्हा, भा०व०से० के योगदान करने अथवा किसी अन्य पदाधिकारी के वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय के पद पर पदस्थापन तक श्री सुबोध कुमार गुप्ता, वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय वन प्रमंडल, बेगूसराय के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं० 2/बि०व०से० (स्था०)-03/2018-1558/प०व०—श्री विमल कुमार, बि०व०से०, निदेशक—सह—वन प्रमंडल पदाधिकारी, राज्य वन प्रशिक्षण संस्थान, गया को स्थानांतरित करते हुए उन्हें अपने ही वेतनमान में उप वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं० 2/बि०व०से० (स्था०)-03/2018-1559/प०व०—श्री बैद्यनाथ प्रसाद गुप्ता, बि०व०से०, उप वन संरक्षक (संविदा), कार्यालय— प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए उन्हें दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा के पद पर अपने नियत मानदेय में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं० 2/बि०व०से० (स्था०)-03/2018-1560/प०व०—श्री दिनेश कुमार दास, बि०व०से०, उप वन संरक्षक (संविदा), कार्यालय— प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए उन्हें निदेशक—सह—वन प्रमंडल पदाधिकारी, राज्य वन प्रशिक्षण संस्थान, गया के पद पर अपने नियत मानदेय में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं० 2/बि०व०से० (स्था०)-03/2018-1561/प०व०—श्री राम नरेश झा, बि०व०से०, सहायक वन संरक्षक (संविदा) के संविदा पर नियोजन के उपरांत विभाग में योगदान की तिथि दिनांक 17.06.2021 से योगदान स्वीकृत करते हुए उन्हें शोध, प्रशिक्षण एवं जन सम्पर्क प्रमंडल, पटना में सहायक वन संरक्षक के पद पर प्रावधानानुसार नियत मानदेय में पदस्थापित करते हुए उप परामर्शी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के रिक्त पद पर कार्य करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है।

सं० 2/बि०व०से० (स्था०)-03/2018-1562/प०व०—श्री अम्बिका शरण सिन्हा, बि०व०से०, सहायक वन संरक्षक (संविदा) के संविदा पर नियोजन के उपरांत विभाग में योगदान की तिथि दिनांक 15.06.2021 से योगदान स्वीकृत करते हुए उन्हें उप निदेशक, राजगीर जू—सफारी के पद पर प्रावधानानुसार नियत मानदेय में पदस्थापित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

22 जून 2021

सं० भा०व०से०(आ०)-03/2019 (खण्ड) 1476/प०व०ज०प०—विभागीय अधिसूचना संख्या—111 दिनांक 11.01.2021 द्वारा श्री रविशंकर कुमार, भा०व०से०, (1995) तत्कालीन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर सम्प्रति लीव रिजर्व, कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम—3(1) के अन्तर्गत निलंबित किया गया है।

श्री रविशंकर कुमार, भा०व०से० के निलंबन की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 28.04.2021 को निलंबन समीक्षा समिति की बैठक हुई। उक्त समिति के अनुशंसा के आलोक में श्री रविशंकर कुमार, भा०व०से०, (1995) तत्कालीन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर सम्प्रति लीव रिजर्व, कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के निलंबन अवधि को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 (संशोधित, 2015) के नियम—3(8)(क) के तहत दिनांक 11.03.2021 के प्रभाव से अगले 120 दिनों तक विस्तारित किया जाता है।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस आदेश के प्रभावी रहने की अवधि में श्री रविशंकर कुमार, भा०व०से० का मुख्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना का कार्यालय रहेगा और उक्त अवधि में श्री कुमार राज्य सरकार की बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

3. श्री कुमार के निलंबन अवधि में अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम—4 में विहित प्रावधानों के तहत उन्हें अनुमान्य निर्वाह भत्ता स्वीकृत किया जाता है। वे जीवन निर्वाह भत्ता प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के कार्यालय से प्राप्त करेंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचनाएं

13 अप्रैल 2021

सं० ग्रा०वि०-14(द०)दर०-01/2018-443123--श्री अविनाश कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बहादुरपुर, दरभंगा के विरूद्ध शौचालय निर्माण के प्रोत्साहन राशि के भुगतान में की गयी अनियमितता के लिए जिला पदाधिकारी—सह—अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, दरभंगा के पत्रांक 1035/जि०ग्रा० दिनांक 23.05.2018 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' विभाग को उपलब्ध कराया गया।

उक्त आरोप पत्र में वर्णित आरोप पत्र श्री कुमार से विभागीय पत्रांक 434599 दिनांक 26.07.2019 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री कुमार के पत्रांक 145 दिनांक 14.02.2020 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। उक्त स्पष्टीकरण में कहा गया है कि लाभुकों का भुगतान विभागीय ज्ञापांक 68/सी दिनांक 05.08.2016 में निहित प्रावधान के अनुसार वार्ड सदस्य के द्वारा शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन एवं उनकी अनुशंसा पर किया गया। परिवादी के द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत स्थल का निरीक्षण कर लाभुकों को नोटिस देकर एवं दबाव बनाकर शौचालय पूर्ण करा लिया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध आरोप एवं स्पष्टीकरण के परिशीलनोपरांत इनके द्वारा लाभुकों के भुगतान में विभागीय दिशा-निर्देश के अनुपालन में प्रक्रियात्मक चूक प्रतीत होती है, तथापि इनके द्वारा लाभुकों को नोटिस देकर एवं दबाव बनाकर शौचालय पूर्ण कर लिया गया।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री कुमार के उक्त चूक के लिए इनके विरुद्ध 'असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक' की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

आदेश दिया जाता है कि श्री कुमार के चारित्र्य/सेवा पुस्त में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

16 जून 2021

सं० ग्रा०वि०-14(सा०)गो०-02/2018-466110--श्री दृष्टि पाठक, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुचायकोट, (गोपालगंज) के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक-988/पं० दिनांक 08.08.2018 के द्वारा पंचायत आम निर्वाचन 2006 का नामांकन पत्र आर्थिक अपराध ईकाई, बिहार को उपलब्ध नहीं कराने एवं बिहार पंचायत राज अधिनियम-2006 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन कर पंचायत आम निर्वाचन 2006 के नामांकन पत्रों के विनष्टीकरण के आरोप में आरोप पत्र गठित कर विभाग को प्राप्त हुआ। उक्त आरोप पत्र में वर्णित आरोप पर श्री पाठक से प्राप्त स्पष्टीकरण व उक्त स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत मामले की वृहत जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक-406286 दिनांक 15.01.2019 द्वारा श्री पाठक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री पाठक से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री पाठक द्वारा जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक-1349 दिनांक 02.12.2017 से निदेशित जिम्मेदार कर्मियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के प्रस्ताव की मांग किए जाने पर आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। उन्होंने केवल वर्ष 2006 में पदस्थापित कर्मियों की सूची उपलब्ध करा दी। अपने स्पष्टीकरण में उन्होंने अनपेक्षित उल्लेख कर वरीय पदाधिकारी को भ्रमित करने का प्रयास किया। इस प्रकार, श्री पाठक द्वारा मामले के तार्किक निष्पादन का कोई प्रयास नहीं किया एवं अपने पदीय उत्तरदायित्व का सम्यक निर्वहन नहीं किया गया।

सम्यक विचारोपरान्त श्री पाठक के विरुद्ध उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-271382 दिनांक 27.06.2020 द्वारा 'असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि अवरुद्ध' की शास्ति अधिरोपित की गई।

उक्त अधिरोपित शास्ति शमन हेतु श्री पाठक के द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दायर की गयी जिसकी सक्षम प्राधिकार के द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री पाठक के द्वारा उक्त पुनर्विलोकन अर्जी में कोई नया तथ्य व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतएव सम्यक विचारोपरान्त सक्षम प्राधिकार के निर्णय अनुसार श्री पाठक के उक्त पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

21 जून 2021

सं० ग्रा०वि०-14(प०) कैमूर-02/2019-469133--श्री जनार्दन तिवारी, (अनु०क्र०-262805), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ़, कैमूर के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ द्वारा निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न करने एवं अन्य वित्तीय अनियमितताओं के आरोप पर जिला पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ के पत्रांक-1452 दिनांक 11.11.2019 के द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया। प्राप्त आरोप पत्र पर विभागीय ज्ञापांक 450950 दिनांक 17.12.2019 के द्वारा श्री तिवारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

प्राप्त स्पष्टीकरण के आलोक में विभागीय पत्रांक 461855 दिनांक 12.05.2020 के द्वारा जिला पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ से मंतव्य की मांग की गयी। विभागीय पत्र के आलोक में जिला पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ के पत्रांक 705 दिनांक 04.07.2020 से मंतव्य प्राप्त है।

श्री तिवारी के विरुद्ध आरोप, स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ का मंतव्य की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री तिवारी के विरुद्ध गठित आरोप सत्य है एवं उनके द्वारा अपने बचाव में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है।

अतः श्री जनार्दन तिवारी, अनु०क्र०-262805, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ़, कैमूर के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत उनपर असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि अवरूद्ध करने का दंड अधिरोपित किया गया।

उक्त दंड पर श्री तिवारी के द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन समर्पित किया गया। श्री तिवारी से प्राप्त पुनर्विलोकन आवेदन एवं आरोप की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि अवरूद्ध करने का निर्णय लिया गया है।

आदेश दिया जाता है कि श्री तिवारी के चारित्रि में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरगन डी०, सचिव।

16 जून 2021

सं० ग्रा०वि०-14(सा०) सा०-01/2020-466080--श्री कुमुद कुमार, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, इसुआपुर, सारण के विरुद्ध दिनांक 10.06.2019 से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, विगत पैक्स चुनाव, मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण, आपदा प्रबंधन कार्य में भी अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में व्यापक अनियमितता बरतने के आरोप में जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के पत्रांक-497/सी० दिनांक 28.01.2020 के द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

उक्त आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर श्री कुमार से विभागीय ज्ञापांक 460984 दिनांक 24.03.2020 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। तत्संबंध में श्री कुमार के पत्रांक-शून्य दिनांक 10.06.2019 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

विभाग द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि इनके द्वारा विभिन्न पंचायतों में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत संचालित योजनाओं में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं की गयी एवं योजनाओं को मानक के अनुरूप कार्यान्वित नहीं की गई। जून 2019 से लगातार अनुपस्थित रहने के कारण निर्वाचन संबंधी कार्य एवं आपदा प्रबंधन कार्य में बाधा उत्पन्न हुई।

सम्यक विचारोपरान्त श्री कुमुद कुमार, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, इसुआपुर, सारण द्वारा बरती गयी उक्त अनियमितता/लापरवाही के लिए इन्हें 'असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक' का दंड अधिरोपित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरगन डी०, सचिव।

16 जून 2021

सं० ग्रा०वि०-14(पटना) भोजपुर-07/2018-466296--श्री वीर बहादुर पाठक, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोईलवर, भोजपुर के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक

925 दिनांक 05.11.2018 द्वारा बिना अवकाश स्वीकृत कराये मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना, वरीय पदाधिकारी से दूरभाष पर धृष्टता पूर्वक बात करना एवं पूछे गए स्पष्टीकरण का उत्तर नहीं देने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर कार्यालय, प्रखंड विकास पदाधिकारी, भोजपुर (आरा) के पत्रांक 183 दिनांक 03.02.2019 द्वारा श्री वीर बहादुर पाठक का स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ।

श्री पाठक के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री वीर बहादुर पाठक, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोईलवर, भोजपुर के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा उनके विरुद्ध जिला पदाधिकारी, भोजपुर (आरा) द्वारा धारित आरोपों के संबंध में ठोस साक्ष्य के साथ स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी, जिससे लोक हित के कार्य में शिथिलता एवं सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल कार्य करने का आरोप स्पष्ट होता है।

अतः सम्यक विचारोपरांत श्री वीर बहादुर पाठक, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोईलवर, भोजपुर के विरुद्ध निंदन का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री पाठक की चारित्रि में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरगन डी०, सचिव।

16 जून 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (पटना) पटना-02/2018-466402--श्री नीरज कुमार राय, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहटा (पटना) के विरुद्ध पंचायत की योजनाओं एवं लेखा की जाँच समय समय पर अनुश्रवण नहीं करने के लिए जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 251 दिनांक 09.04.2018 के द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर श्री नीरज कुमार राय का स्पष्टीकरण प्राप्त है। श्री राय के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि पंचायत चुनाव 2016 एवं विधि व्यवस्था में व्यस्तता के कारण अनुपालन में कुछ विलंब हुआ।

आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री नीरज कुमार राय, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहटा (पटना) में पदस्थापन के दौरान उनके विरुद्ध धारित आरोपों के संबंध में ठोस साक्ष्य के साथ स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी जिससे लोक हित के कार्य में शिथिलता एवं सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल कार्य करने का आरोप स्पष्ट होता है। श्री राय के द्वारा स्पष्टीकरण में लापरवाही को स्वीकार भी किया गया है ।

अतएव सम्यक विचारोपरांत बरती गयी लापरवाही एवं असंवेदनशीलता के लिए श्री नीरज कुमार राय, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहटा (पटना) सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, डोभी, गया के विरुद्ध असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि अवरूद्ध करने का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री नीरज कुमार राय के चारित्रि में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरगन डी०, सचिव।

21 जून 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (पटना) पटना-01/2020-469121--श्री संजय कुमार सिन्हा, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, दनियावां, पटना सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोराडीह, भागलपुर के विरुद्ध कर्तव्यहीनता, उदासीनता, अनुशासनहीनता एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने के आरोपों पर जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-62 दिनांक 11.01.2020 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों पर श्री संजय कुमार सिन्हा से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। श्री सिन्हा के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि प्रखंड दनियावां को प्राप्त लक्ष्य 483 के विरुद्ध मात्र 36 लाभूकों का निबंधन किया गया है। छठ एवं दिपावली में व्यस्त रहने के कारण उनके द्वारा अपेक्षित प्रगति नहीं की जा सकी । प्रतिवेदित आरोप

एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत श्री सिन्हा के द्वारा कार्य में शिथिलता एवं सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल कार्य करने का आरोप प्रमाणित पाया गया।

अतः सम्यक विचारोपरांत श्री संजय कुमार सिन्हा, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, दनियावां, पटना सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोराडीह, भागलपुर को असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि अवरूद्ध करने का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री संजय कुमार सिन्हा के चारित्र्य पुस्तिका में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

16 जून 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (पटना) नालंदा-01/2020-466311--श्री नन्द किशोर, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, सरमेरा, नालंदा के विरूद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना एवं इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में रूचि नहीं लेना, वित्तीय वर्ष 2019-20 में आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन में शिथिलता बरतना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत सरमेरा प्रखंड में 1713 लाभार्थियों के भुगतान को लंबित रखना तथा बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना अंतर्गत मात्र 29 लाभार्थियों को चिन्हित कराने का आरोप पर जिला पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक 368 दिनांक 25.02.2020 के द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

जिला पदाधिकारी से प्राप्त आरोप पत्र पर विभागीय ज्ञापक 161900 दिनांक 12.05.2020 के द्वारा श्री नन्द किशोर से स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

प्रखंड कार्यालय, सरमेरा, नालंदा के पत्रांक 1336 दिनांक 26.05.2020 द्वारा स्पष्टीकरण प्राप्त है।

श्री नंदकिशोर के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा किया गया। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री नन्द किशोर, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, सरमेरा, नालंदा द्वारा उनके विरूद्ध धारित आरोपों के संबंध में ठोस साक्ष्य के साथ स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी, जिससे लोक हित के कार्य में शिथिलता एवं सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल कार्य करने का आरोप स्पष्ट होता है।

अतः सम्यक विचारोपरांत श्री नन्द किशोर, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, सरमेरा, नालंदा को चेतावनी का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री किशोर के चारित्र्य पुस्तिका में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

21 जून 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (ति०) मु०-07/2017-469149--श्री संजय कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मीनापुर, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यान्वयन हेतु समयबद्ध कालबद्ध प्रक्रिया के अनुसार कार्य नहीं करना, पंचायतों को प्राथमिकता सूची उपलब्ध नहीं कराना, प्राथमिकता सूची में नाम जोड़ना एवं अयोग्य लाभुकों को नाम हटाने में पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण नहीं करना आदि से संबंधित जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 2865 दिनांक 27.08.2017 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर श्री सिन्हा का स्पष्टीकरण प्राप्त है। श्री सिन्हा के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 10.05.2017 तक 25 पंचायत की सूची चेक स्लिप के साथ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय, मुजफ्फरपुर को उपलब्ध कराई जा चुकी थी। चूँकि दिनांक 16.05.2017 तक मीनापुर प्रखंड के एक भी पंचायत का अनुमोदन जिला अपीलीय समिति के द्वारा नहीं किया गया था। जिसके कारण आवास सॉफ्ट पर निबंधन का कार्य नहीं किया जा सका। दिनांक 04.07.2017 के पहले तक मात्र 10 पंचायत का जिला अपीलीय समिति के द्वारा अनुमोदन किया गया जिसमें 7 पंचायत का अनुमोदन जिला से जुलाई के प्रथम सप्ताह में किया गया था तथा इस अनुमोदन के

आलोक में दिनांक 04.07.2017 से पहले तक 01 पंचायत का स्वीकृति प्रस्ताव जिला को भेजा गया। जबकी 02 पंचायत का स्वीकृति प्रस्ताव दिनांक 05.07.2017 को जिला अभिकरण कार्यालय में जमा करवा दिया गया। चूँकि शेष 07 पंचायत का अनुमोदन जिला अभिकरण कार्यालय द्वारा जुलाई प्रथम सप्ताह में किया गया था इसलिये दिनांक 04.07.2017 तक स्वीकृति प्रस्ताव नहीं भेजा जा सका। अतः दिनांक 04.07.2017 तक मात्र 188 लाभुको का निबंधन किया जा सका। रानीखैरा ही एक मात्र ऐसा पंचायत था जिसका स्वीकृति प्रस्ताव दिनांक 04.07.2017 को जिला अभिकरण कार्यालय, मुजफ्फरपुर के द्वारा स्वीकृत किया गया।

उनके द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रखंड कार्यालय मीनापुर के Digital Signature Expire हो जाने के कारण तथा Digital Signature का Renew समय पर नहीं होने के कारण भी FTO नहीं किया जा सका।

आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री सिन्हा के द्वारा उनके विरुद्ध धारित आरोपों के संबंध में ठोस साक्ष्य के साथ स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी जिससे लोक हित के कार्य में शिथिलता एवं सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल कार्य करने का आरोप स्पष्ट होता है।

अतएव सम्यक विचारोपरांत बरती गयी लापरवाही एवं असंवेदनशीलता के लिए श्री संजय कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मीनापुर, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि अवरुद्ध करने का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री संजय कुमार सिन्हा के चारित्री में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

21 जून 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (पूर्णियां) कटिहार-05/2018-469118--श्री सुमित कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोढ़ा, कटिहार के विरुद्ध कोढ़ा प्रखंड अन्तर्गत लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान योजना के तहत लक्ष्य के अनुपात में काफी कम संख्या में 1 HHL-Entry, जियो टैगिंग एवं प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया है। इनके द्वारा समय पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान भी नहीं किया जाना एवं संवेदनहीनता का आरोप जिला पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक 454 दिनांक 15.11.2018 के द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर श्री सिंह का स्पष्टीकरण प्राप्त है। श्री सिंह के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कुल 2350 शौचालयों की इन्ट्री की गई तथा 2898 लाभुकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया। कुल 127 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का आवास पूर्ण कराया गया। आरोप के अवलोकन से स्पष्ट है कि 1 HHL-Entry, लक्ष्य 22491 के विरुद्ध 1184 किया गया। प्रोत्साहन राशि 7301 लाभुकों के विरुद्ध मात्र 61 लाभुकों का भुगतान किया गया है।

आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री कुमार के द्वारा उनके विरुद्ध धारित आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण के साथ ठोस साक्ष्य नहीं संलग्न किया गया है जिससे लोक हित के कार्य में शिथिलता एवं सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल कार्य करने का आरोप स्पष्ट होता है।

अतएव सम्यक विचारोपरांत बरती गयी लापरवाही एवं असंवेदनशीलता के लिए श्री सुमित कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोढ़ा, कटिहार के विरुद्ध चेतावनी का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री सुमित कुमार के चारित्री में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

21 जून 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (पटना) ना०-04/2018-469128--डॉ० अजय कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, हिलसा, नालंदा के विरुद्ध लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में विभागीय दिशा निदेश का अनुपालन नहीं करना, हिलसा थाना कांड संख्या 690/17, दिनांक 31.10.2017 में अभियुक्त के विरुद्ध विलंब कार्रवाई करना, प्रधानमंत्री आवास योजना में सतत् पर्यवेक्षण नहीं किया जाना तथा मनमानी करना एवं जिला पदाधिकारी, नालंदा के स्पष्ट आदेश के बावजूद बिना पूर्व अनुमति के कार्यालय से अनुपस्थित रहने से संबंधित जिला पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक 445 दिनांक 13.04.2018 के द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर डॉ० अजय कुमार का स्पष्टीकरण प्राप्त है। डॉ० अजय कुमार के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में प्रत्येक सप्ताह प्रखंड जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक की जाती थी। लक्ष्य प्राप्ति हेतु समय पर न केवल सभी पंचायत एवं वार्ड स्तर पर कर्मियों/पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई वरन उन्हें उनके कर्तव्य बोध से भी अवगत कराया। हमारा प्रखंड खुले में शौच से मुक्त हो इसके लिए control room (वार रूम) की स्थापना की। मेरे द्वारा प्रतिदिन प्रातः प्रत्येक कर्मियों को क्षेत्र में भेजा जाता था एवं शाम में अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त किया जाता था। मेरे द्वारा इस महत्वपूर्ण कार्य की कभी अनदेखी नहीं की गई है।

जहाँ तक 294 से संबंधित मामले में आवास सहायक के विरुद्ध उनके स्पष्ट किया गया है कि उक्त आदेश पर ही संबंधित आवास सहायक पर ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दिनांक 04.07.2017 को मैं जिला पदाधिकारी के द्वारा अवकाश स्वीकृति के बाद मोबाईल प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, हिलसा को देकर गया था। इसी क्रम में सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा फोन रिसिव किया गया। अवकाश जिला पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया था।

आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि डॉ० अजय कुमार के द्वारा उनके विरुद्ध धारित आरोपों के संबंध में ठोस साक्ष्य के साथ स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी जिससे लोक हित के कार्य में शिथिलता एवं सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल कार्य करने का आरोप स्पष्ट होता है।

अतएव सम्यक विचारोपरांत बरती गयी लापरवाही एवं असवेदनशीलता के लिए डॉ० अजय कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, हिलसा, नालंदा के विरुद्ध असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि अवरुद्ध करने का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि डॉ० अजय कुमार के चारित्र्य में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरगन डी०, सचिव।

21 जून 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (पटना) भो०-03/2014-469115--श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, उदवंतनगर, भोजपुर के विरुद्ध मुख्यालय से अनधिकृत अनुपस्थिति, दायित्वों के प्रति लापरवाही, कर्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना के आरोप पर लिए जिला पदाधिकारी-भोजपुर के पत्रांक 2198 दिनांक 20.10.2014 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' विभाग को उपलब्ध कराया गया।

उक्त आरोप पत्र में वर्णित आरोप पर श्री श्रीवास्तव से स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने अपनी माता जी के बिगड़ते स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही दो दिनों का आकस्मिक अवकाश के लिए आवेदन दिया था, जिसकी स्वीकृति जिलाधिकारी, भोजपुर के द्वारा कराने का उल्लेख किया है। तदोपरांत दिनांक 10.10.2014 को माता जी का स्वास्थ्य परीक्षण कराने तथा चिकित्सक के पूर्ण देख-रेख में कुल पन्द्रह (15) दिन आराम करने की सलाह के उपरान्त उनके द्वारा दिनांक 11.10.2014 से 20.10.2014 तक कुल 10 दिन उपार्जित अवकाश हेतु एक आवेदन जिला पदाधिकारी, भोजपुर को देते हुए प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, पटना (बिहार) के माध्यम से दिनांक 11.10.2014 को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजा गया है।

श्री श्रीवास्तव के विरुद्ध आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री श्रीवास्तव अपने वृद्ध माता के बिमारी के इलाज के लिए छुट्टी पर थे किन्तु छुट्टी बढ़ाने के लिए उनके द्वारा सही प्रक्रिया नहीं अपनाई गई।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री श्रीवास्तव को उक्त चूक के लिए इनके विरुद्ध चेतावनी का दंड अधिरोपित की जा सकता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री श्रीवास्तव के चारित्र्य/सेवा पुस्त में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरगन डी०, सचिव।

16 जून 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (भा०) भा०-04/2016-466042--श्री राकेश कुमार ठाकुर, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, रंगरा चौक, भागलपुर के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक 64 (प्र०) दिनांक 29.09.2016 द्वारा तेरहवें वित्त आयोग वित्तीय वर्ष 2014-15 अंतर्गत ली गयी योजनाओं का सतत पर्यवेक्षण नहीं करने एवं कार्यों को पूर्ण कराने में लापरवाही बरते जाने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर प्रखंड कार्यालय, रंगरा चौक के पत्रांक 106 दिनांक 07.02.2017 एवं कार्यालय, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिकटी, अररिया के ज्ञापांक 1290 दिनांक 11.12.2020 द्वारा श्री राकेश कुमार ठाकुर का स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ।

श्री ठाकुर के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री राकेश कुमार ठाकुर, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, रंगरा चौक, भागलपुर द्वारा उनके विरूद्ध धारित आरोपों के संबंध में ठोस साक्ष्य के साथ स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी, जिससे लोक हित के कार्य में शिथिलता का आरोप स्पष्ट होता है।

अतः सम्यक विचारोपरांत श्री राकेश कुमार ठाकुर, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, रंगरा चौक, भागलपुर सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिकटी, अररिया के विरूद्ध चेतावनी का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री ठाकुर के चारित्रि में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

23 जून 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (भा०) बाँका-03/2019-471739--श्री अमित कुमार, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बौसी, बाँका सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध प्रशिक्षु आई०ए०एस०, के प्रखंड प्रशिक्षण में योगदान हेतु प्रभार नहीं सौंपने, अनधिकृत रूप से विभिन्न दिवसों व महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने, स्पष्टीकरण का उत्तर का नहीं देने, योजनाओं के क्रियान्वयन में रूचि नहीं लेने, निर्वाचन कार्यों में लापरवाही इत्यादि के लिए जिला पदाधिकारी, बाँका के पत्रांक-670 दिनांक 30.11.2019 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ। उक्त के अतिरिक्त जिला पदाधिकारी, बाँका के ज्ञापांक 97 दिनांक 18.01.2020 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उनकी लापरवाही एवं अनुपस्थित रहने एवं उस पर पूछे गये स्पष्टीकरण का जबाब नहीं देने से संबंधित अत्यंत गंभीर आरोप भी प्रतिवेदित किये गये हैं।

उक्त आरोप के आलोक में श्री कुमार को विभागीय अधिसूचना संख्या-455663 दिनांक 01.02.2020 द्वारा निलंबित किया गया एवं अधिसूचना संख्या-461606 दिनांक 04.05.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र के अधिकांश आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। प्रमाणित आरोपों पर श्री कुमार का लिखित अभ्यावेदन प्राप्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष प्रतिवेदन एवं श्री कुमार के अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री कुमार का अभ्यावेदन में वर्णित बिन्दु साक्ष्य पोषित एवं ठोस तथ्यों पर आधारित नहीं है।

अतः श्री अमित कुमार, तत्कालीन ग्रामीण विकास विभाग पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, बौसी, बाँका सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में शिथिलता एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल कार्य करने के लिए उनके विरूद्ध असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि अवरूद्ध करने का दंड अधिरोपित करते हुये उन्हें निलंबन मुक्त किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

21 जून 2021

सं० ग्रा०वि०-14(द०) दर०-04/2020-472938--श्री सुधीर कुमार, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हनुमाननगर, दरभंगा के विरूद्ध प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लोहिया स्वच्छता अभियान योजना एवं मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना अंतर्गत हर घर नल का योजना के तहत लंबित कार्यों की प्रगति में अभिरूचि नहीं लेने/लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के कारण असंतोषजनक प्रगति के आरोप में जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक-323/जि०ग्रा० दिनांक 27.02.2020 के द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

उक्त आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर श्री कुमार से विभागीय ज्ञापांक 461515 दिनांक 30.04.2020 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। तत्संबंध में श्री कुमार के पत्रांक-672 दिनांक 18.07.2020 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

विभाग द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि इनके द्वारा वित्तीय वर्ष-2016-2017 एवं 2017-18 के निर्धारित लक्ष्य में से प्रथम किस्त के विरूद्ध 60 प्रतिशत से भी कम आवास पूर्ण किया गया है। सरकार के गृहविहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना देने के संबंध में बार-बार निदेश के बावजूद 493 लाभुकों को आवास से वांचित रखा गया है। मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना अंतर्गत हर-घर नल का योजना में निर्धारित कुल 166 वार्डों में एक वार्ड में योजना प्रारंभ नहीं की गयी एवं 61 वार्डों में योजना अपूर्ण रही। स्पष्टतः इनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) तथा मुख्यमंत्री सात निश्चय योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता बरती गयी है।

सम्यक विचारोपरान्त श्री सुधीर कुमार, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हनुमाननगर, दरभंगा द्वारा बरती गयी उक्त शिथिलता के लिए इन्हें 'चेतावनी' का दंड अधिरोपित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

कार्यालय आदेश

16 जून 2021

सं० ग्रा०वि०-14(भा०) भा०-04/2016-466061--श्रीमती कुमारी उषा सिन्हा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रंगरा चौक, भागलपुर के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक 64 (प्र०) दिनांक 29.09.2016 द्वारा तेरहवें वित्त आयोग वित्तीय वर्ष 2014-15 अंतर्गत ली गयी योजनाओं का सतत पर्यवेक्षण नहीं करने एवं कार्यों को पूर्ण कराने में लापरवाही बरते जाने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर पत्रांक-शून्य दिनांक 25.02.2017 द्वारा श्रीमती सिन्हा का स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ।

श्रीमती सिन्हा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्रीमती कुमारी उषा सिन्हा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रंगरा चौक, भागलपुर द्वारा उनके विरूद्ध धारित आरोपों के संबंध में ठोस साक्ष्य के साथ स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी, जिससे लोक हित के कार्य में शिथिलता का आरोप प्रमाणित होता है।

अतः सम्यक विचारोपरान्त श्रीमती कुमारी उषा सिन्हा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रंगरा चौक, भागलपुर सम्प्रति सहायक परियोजना पदाधिकारी, भागलपुर के विरूद्ध चेतावनी का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्रीमती सिन्हा के चारित्रि में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

कार्यालय आदेश

16 जून 2021

सं० ग्रा०वि०-14(ति०) प०च०-07/2019-466244--श्रीमती निभा कुमारी, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण के विरूद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन में

उदासीनता, मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अन्तर्गत लाभुकों का चयन नहीं करना आदि के आरोप पर जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) के पत्रांक-182 दिनांक 31.08.2019 के द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

जिला पदाधिकारी से प्राप्त आरोप पत्र पर श्रीमती कुमारी के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कुल 66 अस्वीकृत आवासों में से 371 चयनित लाभुक भूमिहीन एवं 27 लाभुक अस्थाई रूप से बाहर थे जिसकी कुल संख्या 398 होती है। इस प्रकार मात्र 68 योग्य लाभुक ही स्वीकृति हेतु अवशेष थे। प्रखंड लेखापाल के स्तर से एफ0टी0ओ0 सत्यापन के उपरांत जो भी अभिलेख उनके समक्ष उपस्थापित किया गया, उसका शत प्रतिशत भुगतान उनके द्वारा कर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण से सम्बन्धित प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच एवं जियो टैगिंग से सम्बन्धित कार्य शत प्रतिशत पूर्ण किया गया। इंदिरा आवास योजनान्तर्गत प्रथम किस्त भुगतान किए गए शत प्रतिशत लाभुकों का भौतिक सत्यापन करते हुए निर्धारित स्तर तक गृह निर्माण कार्य पूर्ण करने वाले सभी योग्य लाभुकों को द्वितीय किस्त का भुगतान कर आवास निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी/अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के स्तर से किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल टिप्पणी उनके विरुद्ध उनके कार्यरत अवधि में नहीं की गई। वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए निर्धारित लक्ष्य में कुल 371 परिवार भूमिहीन चिह्नित किए गए थे। किन्तु अंचल अधिकारी द्वारा अपेक्षित रूचि नहीं लेने के कारण योग्य लाभुकों को मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना से लाभान्वित करना संभव नहीं हो पाया।

श्रीमती कुमारी के विरुद्ध आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्रीमती कुमारी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उल्लेखित तथ्यों को संपुष्ट करने हेतु कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। साथ ही उनके द्वारा स्पष्टीकरण में आरोप को स्वीकार किया गया है। स्पष्ट है कि श्रीमती कुमारी के द्वारा सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अभिरूचि नहीं ली गई, जिसके फलस्वरूप योजनाओं का लाभ योग्य लाभार्थियों तक नहीं पहुंच सका।

अतएव सम्यक विचारोपरान्त श्रीमती निभा कुमारी के विरुद्ध 'असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक' का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्रीमती कुमारी के चारित्र्य में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी0, सचिव।

समाहरणालय, समस्तीपुर
(जिला स्थापना प्रशाखा)

आदेश

27 नवम्बर 2020

सं0 (XVII-19/17)-437/स्था0—शिवाजीनगर अंचल अन्तर्गत हल्का नं0-3, 4, 6, एवं 7 के राजस्व कर्मचारी श्री लक्ष्मेश्वर प्रसाद सिंह के विरुद्ध लगान वसूली के क्रम में लगान रसीद के रैयती फर्द पर अधिक राशि दर्ज करने तथा मालिकी फर्द (कार्यालय प्रति) पर कम राशि दर्ज करने का मामला प्रकाश में आने पर जिला राजस्व प्रशाखा, समस्तीपुर के पत्रांक-2797/रा0, दिनांक 14.08.2018 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, रोसड़ा के नेतृत्व में त्रिसदस्यीय जाँच दल का गठन किया गया।

अनुमंडल पदाधिकारी, रोसड़ा के पत्रांक-02/मु0रा0, दिनांक 05.10.2018 के द्वारा जाँच दल का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जाँच दल के प्रतिवेदनानुसार हल्का क्षेत्र अन्तर्गत विशेष शिविर का आयोजन कर श्री लक्ष्मेश्वर प्रसाद सिंह, राजस्व कर्मचारी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में रैयती को निर्गत कुल 2672 लगान रसीदों के रैयती फर्द का मालिकी फर्द (कार्यालय प्रति) से मिलन कार्य किया गया। जाँच दल के समक्ष कुल 166 रैयत की लगान रसीद के रैयती फर्द के साथ उपस्थित हुए जिनका लगान रसीद के कार्यालय प्रति से मिलान किया गया। जाँच दल के समक्ष जाँच के दौरान प्रस्तुत कुल 166 रसीदों में से कुल 71 लगान रसीद ऐसा पाया गया जिसके मालिकी फर्द (कार्यालय प्रति) में कम राशि दर्ज था तथा रैयती फर्द में अधिक राशि दर्ज किया गया था। इन 71 लगान रसीदों की तुलनात्मक विवरणी के अनुसार श्री सिंह के द्वारा इन रैयतों से कुल-2,21,353.00 (दो लाख इक्कीस हजार तीन सौ तीरपन) रूपया अधिक वसूली की गई, परन्तु उक्त

राशि सरकारी कोष में जमा नहीं की गई। इस प्रकार जाँच दल के द्वारा श्री सिंह, राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध गवन का आरोप लगाये जाने के उपरांत अद्योहस्ताक्षरी के आदेश ज्ञापांक-4235/रा०, दिनांक 16.11.2018 के द्वारा श्री सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए अंचल अधिकारी, शिवाजीनगर से अनुमंडल पदाधिकारी, रोसड़ा के माध्यम से आरोप पत्र की माँग की गई।

अनुमंडल पदाधिकारी, रोसड़ा के पत्रांक - 673/सी, दिनांक 17.05.2019 के द्वारा श्री लक्ष्मेश्वर प्रसाद सिंह के विरुद्ध प्राप्त आरोप पत्र को अनुमोदित करते हुए कार्यालय ज्ञापांक-1782/रा०, दिनांक 20.06.2019 के द्वारा श्री सिंह से आरोप पत्र में वर्णित आरोपो पर स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होने के कारण अद्योहस्ताक्षरी के आदेश ज्ञापांक-2346/रा०, दिनांक 05.08.2019 के द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्ता, समस्तीपुर को संचालन पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, शिवाजीनगर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, समस्तीपुर के पत्रांक-345/भू०सु०, दिनांक 16.03.2020 के द्वारा श्री लक्ष्मेश्वर प्रसाद सिंह, निलंबित राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, शिवाजीनगर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही में आदेश पारित करते हुए आदेश की प्रति मूल रूप में उपलब्ध करायी गयी है।

संचालन पदाधिकारी के पारित आदेश दिनांक - 13.03.2020 निम्न प्रकार है :-

समाहर्ता, समस्तीपुर के आदेश ज्ञापांक - 2346/रा०, दिनांक 05.08.2019 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, रोसड़ा के पत्रांक - 673/सी०, दिनांक 17.05.2019 संलग्न करते हुए श्री लक्ष्मेश्वर प्रसाद सिंह, राजस्व कर्मचारी पर निम्नलिखित कदाचार अधिरोपित किया गया है:-

1. श्री लक्ष्मेश्वर प्रसाद सिंह, राजस्व कर्मचारी द्वारा अपने पदस्थापन कार्यालय, अंचल कार्यालय, शिवाजीनगर के हल्का संख्या - 03,04,05,06 एवं 07 में राजस्व कर्मचारी के रूप में रैयतो से लगान वसूली वर्ष 2017-18 की अवधि में विहित सरकारी प्रावधानों के विपरीत रैयतो से रैयती फर्द पर अधिक राशि एवं कार्यालय फर्द पर कम राशि चढ़ाकर अंचल कार्यालय में नाजीर के यहाँ नजीर रसीद से राशि जमा किया गया है।

2. रैयतो से प्राप्त राशि मो० - 2,21,353.00 (दो लाख इक्कीस हजार तीन सौ तीरपन) रुपये मात्र कुल रैयतों से वसूली कर अपने निजी हित स्वार्थ के लिए अपने पास रख लिये हैं।

3. जिलाधिकारी, समस्तीपुर के द्वारा गठित जाँच दल भूमि सुधार उप समाहर्ता, रोसड़ा एवं अंचल अधिकारी, विभूतिपुर में उनके प्रभारी मौजा में आम सूचना रैयतों के नाम प्रकाशित कर रैयतों से प्राप्त राजस्व लागन वसूली का रैयती फर्द से मिलान करने पर प्रमाणित हुआ है।

4. इस प्रकार लक्ष्मेश्वर प्रसाद सिंह, राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध आरोप सत्य पाया गया है। उनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली 3 (1) का उल्लंघन है।

श्री राज कुमार पंडित, राजस्व कर्मचारी-सह-प्रभारी अंचल निरीक्षक ने आवेदन पत्र द्वारा श्री लक्ष्मेश्वर प्रसाद सिंह, राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध व्यवहृत राजस्व लगान रसीद एवं राजस्व संग्रहण प्रपत्र की जाँच से पूर्व उनके विरुद्ध राजस्व लगान रसीद की रैयत फर्द में ज्यादा राशि तथा कार्यालय फर्द में कम राशि होने संबंधी आवेदन पत्र दिया गया है। किन्तु किसी भी रैयत के द्वारा इस संदर्भ में कोई आरोप आवेदन पत्र नहीं दिया गया है। श्री राज कुमार पंडित, प्रभारी अंचल निरीक्षक ने उनके लगान रसीद की कार्यालय प्रति एवं राजस्व संग्रहण की जाँच करते हुए श्री लक्ष्मेश्वर प्रसाद सिंह, राजस्व कर्मचारी से राजस्व लगान की कार्यालय प्रति एवं राजस्व संग्रहण प्रपत्र में अनेकों जगह काटकर राशि लिखकर हल्का सं०-06 में मो०-74,595.00, हल्का-07 में मो०-55,070.00, हल्का-03 में मो०-56,740.00 अर्थात् कुल मो०-1,86,305.00 रुपये दिनांक 09.07.2018 को तथा दिनांक 02.07.2018 को हल्का-03 में मो० 2000.00, हल्का-04 में मो०-3600.00, हल्का-06 में मो०-16,100.00 तथा हल्का-07 में मो०-43,380.00 अर्थात् कुल मो० 65080.00 रुपये श्री लक्ष्मेश्वर प्रसाद सिंह, राजस्व कर्मचारी से जमा करवा कर रिटर्न तैयार किया गया तथा इसी बीच जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक-2797/रा०, दिनांक 14.08.2018 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में त्रिस्तरीय जाँच दल द्वारा कुल 71 रैयतों के लगान रसीद में अधिक राशि तथा कार्यालय फर्द में राशि होने का साक्ष्य पाया गया है। इस प्रकार श्री लक्ष्मेश्वर प्रसाद सिंह के द्वारा कुल मो०-2,21,353.00 (दो लाख इक्कीस हजार तीन सौ तीरपन) रुपये की वसूली किया गया तथा सरकारी कोष में जमा नहीं किया गया है। यह आरोप सिद्ध पाया गया है।

साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी, रोसड़ा एवं अंचल अधिकारी, शिवाजीनगर द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के भाग IV में नियम 9(1)(क) एवं बिहार सेवा संहिता के नियम 100 में वर्णित प्रावधान के आलोक में युक्तिसंगत कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त आरोप की प्रति संलग्न करते हुए श्री लक्ष्मेश्वर प्रसाद सिंह से बिन्दुवार स्पष्टीकरण की माँग की गयी तथा प्राप्त स्पष्टीकरण के आलोक में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा सुनवाई की गयी। श्री लक्ष्मेश्वर प्रसाद सिंह, निलंबित राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, शिवाजीनगर का पक्ष निम्न प्रकार है -

1. मेरी नियुक्ति दिनांक 22.06.2012 को तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय, समस्तीपुर के द्वारा राजस्व कर्मचारी के पद पर की गई थी एवं मेरा प्रथम पदस्थापन शिवाजीनगर अंचल में किया गया था। शिवाजीनगर अंचल में मुझे कुल चार

हल्का यथा पंचायत, परसा, दहियार, रन्ना, धिवाही, दसौत, करियन, रानीपरती, शंकरपुर एवं जाखर धर्मपुर का प्रभार दिया गया। मैं पूर्णरूपेण राजस्व कर्मचारी के कार्यों से अनभिज्ञ था एवं तत्कालीन प्रभारी अंचल निरीक्षक श्री राज कुमार पंडित के द्वारा सहयोग हेतु उपलब्ध कराये गये स्थानीय मुंशी के सहयोग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था। मालगुजारी रसीद काटने का प्रशिक्षण मुझे किसी के द्वारा नहीं दिया गया था। तत्कालीन प्रभारी अंचल निरीक्षक श्री पंडित के द्वारा उपलब्ध कराये गये मुंशी के द्वारा राजस्व रसीद भरा जाता था। जिस पर मैं विश्वास कर हस्ताक्षर करता था। मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि स्थानीय मुंशी के द्वारा मेरे साथ किसी भी प्रकार का धोखा किया जा रहा है।

2. यह सत्य नहीं है कि रैयतों से प्राप्त राशि मो० 2,21,353.00 मैंने अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने पास रख लिया, सत्याता यह है कि नव नियुक्त कर्मचारी होने एवं अप्रशिक्षित रहने एवं तत्कालीन प्रभारी अंचल निरीक्षक श्री राज कुमार पंडित के द्वारा उपलब्ध कराये गये स्थानीय मुंशी के द्वारा माल गुजारी रसीद भरा जाता था एवं वसूली की गई राशि स्थानीय मुंशी अपने पास रखता था एवं मुझसे मालगुजारी रसीद पर हस्ताक्षर कराकर स्थानीय रैयतों को दिया करते थे। प्रतिदिन संध्या समय माल गुजारी रसीद के कार्यालय प्रति से राशि जोड़कर मुझे दे दिया करते थे। यदि अनियमितता हुई है, तो तत्कालीन अंचल निरीक्षक राज कुमार पंडित के द्वारा उपलब्ध कराये गये स्थानीय मुंशी ने मेरे साथ धोखा देकर इस प्रकार की अनियमितता किया है।

3. तीसरे कदाचार पर मुझे कुछ नहीं कहना है।

4. विभागीय कार्यवाही प्रारंभ हो चुका है। इसलिए मुझे इस कदाचार पर कुछ नहीं कहना है।

5. यह आरोप सत्य नहीं है, कि मो० 2,21,353.00 रुपये जमा नहीं किया गया है। सत्यता यह है, कि 2,21,353.00 रुपये अंचलाधिकारी, शिवाजीनगर के नजारत में उक्त राशि को माह मार्च 2019 में ही जमा किया जा चुका है।

6. जाँच दल के द्वारा जांच में जो कुछ भी मेरे अनुपस्थिति में जांच किया गया है उनके जांच प्रतिवेदन पर मैं कुछ भी टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूँ।

श्री लक्ष्मेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा प्रस्तुत पक्ष अभिलेख के साथ संलग्न कागजात एवं अन्य साक्ष्यों का अवलोकन किया। जाँच दल भूमि सुधार उप समाहर्ता, रोसड़ा एवं अंचल अधिकारी, विभूतिपुर के जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि मालगुजारी रसीद के रैयती फर्द पर तथा कार्यालय फर्द पर राशि में अंतर पायी गयी। कुछेक रैयतों के फर्द पर कार्यालय फर्द से अधिक राशि अंकित की जाती थी। जाँच दल के द्वारा मो०—2,21,353.00 (दो लाख इक्कीस हजार तीन सौ तीरपन) रुपये की गणना की गयी। यह राशि लक्ष्मेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा नाजिर रसदीद सं—703817, दिनांक 30.03.2019 को शिवाजीनगर अंचल कार्यालय में जमा की गयी है। अनुमंडल पदाधिकारी, रोसड़ा के पत्रांक—673/सी० दिनांक 17.05.2019 के प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है, कि राशि अंचल नजारत में जमा कर दी गई है। इस प्रकार श्री लक्ष्मेश्वर प्रसाद सिंह पर यह आरोप प्रमाणित होता है कि कुछेक रैयतों के मालगुजारी रसीद को कार्यालय फर्द पर कम राशि तथा रैयती फर्द पर अधिक राशि अंकित की जाती थी जो नियमानुसार गलत है।

इस प्रकार संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि श्री लक्ष्मेश्वर प्रसाद सिंह, निलंबित राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, शिवाजीनगर के द्वारा सरकारी खाते में कम राशि जमा की गई और रैयतों से अधिक राशि वसूल की गई। यह सरकारी राशि के गवन का मामला है। कालान्तर में कर्मचारी ने यह राशि जमा की है किन्तु रैयत के फर्द में अलग राशि और सरकारी फर्द में अलग राशि अंकित करना गवन के साथ—साथ धोखाधड़ी का भी मामला है। उनका यह कृत्य गंभीर आरोप की श्रेणी में है एवं सरकारी सेवा में बने रहने के लायक नहीं हैं। इस प्रकार वे उनके विरुद्ध आरोप पत्र में वर्णित सभी आरोप प्रमाणित होते हैं। स्पष्ट है कि वे बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 03 के तहत दोषी हैं।

अतः बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली 1958 के नियम 165, 166 एवं सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 (X) एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 03 में निहित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं शशांक शुभंकर, भा० प्र० से०, समाहर्ता—सह—जिला दण्डाधिकारी, समस्तीपुर यथा उपर वर्णित आरोपों के प्रमाणित पाए जाने के फलस्वरूप श्री लक्ष्मेश्वर प्रसाद सिंह, निलंबित राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, शिवाजीनगर, को आदेश निर्गत होने के तिथि से सेवा से बर्खास्त (Dismiss) करता हूँ।

श्री सिंह से संबंधित सूचना निम्नवत् है :-

1. नाम :- श्री लक्ष्मेश्वर प्रसाद सिंह

2. पदनाम	:- राजस्व कर्मचारी
3. जन्म तिथि	:- 25.09.1962
4. योगदान की तिथि	:- 05.07.2012
5. सेवा निवृत्ति की तिथि	:- 30.09.2022
5. सेवा/संवर्ग का नाम	:- राजस्व कर्मचारी
6. वर्तमान पदस्थापन कार्यालय	:- अंचल कार्यालय, रोसड़ा
6. वेतन बैंड एवं ग्रेड पे	:- 23800
7. स्थायी पता	:- ग्राम - आतापुर, पो० - नकुनी प्रखंड - हसनपुर, जिला - समस्तीपुर।

आदेश से,
शशांक शुभंकर, भा० प्र० से०,
समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, समस्तीपुर।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 12—571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण
सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 606--I, **ABU Sufiyan**, R/o Phulwarisharif, District-Patna 801505, Bihar.
According to affidavit affirm that **HAFSA** is my daughter. Now her real name will be
HAFSA SABREEN. Affidavit No. 13100 Dated 30.12.2020.

ABU Sufiyan.

No. 607—I, **ABU Sufiyan**, R/o Phulwarisharif, District-Patna 801505 Bihar.
According to affidavit affirm that **SADIYA** is my daughter. Now her real name will be
SADIYA SABREEN. Affidavit No. 13099 Date- 30.12.2020.

ABU Sufiyan.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 12—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>